न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर, कोटा, जिला कोटा
पीठासीन अधिकारीः श्री वीरेन्द्र सिंह यादव आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या : 01/2021 (अपील)
जी.सी.एम.एस.नं. — 2023/15

उनवान

ब्रदीलाल पुत्र गंगाराम जाति बैरवा निवासी झोपडिया तह0पीपल्दा,जिला कोटा।
(अपीलान्ट)

बनाम

1. बाबूलाल पुत्र चतरा जाति बैरवा निवासी खातोली तह0 पीपल्दा,जिला कोटा
2. राजस्थान राज्य सरकार तहसीलदार पीपल्दा,जिला कोटा।

(रैंस्पोडेन्टस्)

उपस्थित अभिभाषक :— श्री फिरोज आब्दी,(अपीलान्ट)
श्री सी.एल.जाटवा,(रेस्पोडेन्ट)

प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 14(4) आंवटन नियम—1970
आंवटन आदेश दिनांक 17.06.1992,

निर्णय दिनांकः—27/5/26

संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि ग्राम खातोंली तह. पीपल्दा जिला कोटा में स्थित वर्तमान खसरा नम्बर 529 रकबा 2.14 है0 भूमि अप्राथी कम 1 को दिनांक 17.06. 1992 को आंवटन समिति द्वारा सशुल्क आंवटन किया गया था,किन्तु उसके बावजूद भी उक्त वर्णित भूमि पर प्रार्थी काबिज काश्त था व प्रार्थी को तत्समय से व बाद में उक्त खसरा नम्बर पर तहसीलदार पीपल्दा द्वारा धारा 91 एल.आर.एक्ट के तहत नोटिस दिये जाते रहे व प्रार्थी द्वारा उक्त नोटिसों का जुर्माना भी जमा करता रहा।

अप्रार्थी क1 को हुऐं उक्त आंवटन को कोई दखल तत्समय यानी आवंटन के समय नही दिया गया और ना ही वर्तमान में अप्रार्थी कम 1 का कब्जा है और ना ही उक्त आवंटन का कोई अमल दरामद किया गया है ऐसी स्थिति में प्रार्थी ही उक्त खसरा नम्बर पर काबिज होकर ताबान राशि जमा करता चला आ रहा है। नियमानुसार आवंटन पश्चात 2 वर्ष के अन्दर आवंटित की गई भूमि पर काश्त नही करने पर आंवटी का आंवटन निरस्त किये जाने का नियम है जबकि उक्त वर्णित आराजी पर आवंटन दिनांक से ही आंवटी द्वारा कभी कोई काश्त नही की गई। ऐसी स्थिति में अप्रार्थी का आवंटन निरस्त किये जाने योग्य है। प्रार्थी को उक्त आंवटन की सर्वप्रथम जानकारी दिनांक 26. 07.2021 को हुई जिसके बाद प्रार्थी द्वारा आंवटन की नकल दिनांक 8.7.2021 को नकल प्राप्त कर माननीय न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जा रहा है। जानकारी

अति॰ जिला कलक्टर
कोटा

के अभाव में व्यतीत समय के लिए धारा –5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र व शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है।

अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर आंवटन आदेश दिनांक 17.06.1992 आंवटी बाबूलाल पुत्र चतरा जाति बैरवा निवासी खातोली तह0पीपल्दा को निरस्त किया जावे एवं प्रार्थी कब्जेधारी के पक्ष में नियमन हेतु सिफारिश की जावे।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण की तलबी जर्ये समन्न की गई। अप्रार्थी क.1 की ओर से अभिभाषक सी.एल.बैरवा द्वारा वकालतनामा एवं जवाब प्रार्थना पत्र पेश किया। वकील अप्रार्थी क.1 द्वारा जवाब प्रार्थना पत्र में कथन किया कि अप्रार्थी बाबूलाल एक भूमिहीन काश्तकार होने के कारण उसे दिनांक 17.6.1992 को ग्राम खातोली मे सिवायचक भूमि खसरा न. 529 रकबा 2.14 है0 किस्म नहरी द्वितीय आंवटन हुई थी वक्त आंवटन से नियमित एवं निर्बाद रूप से कब्जा काश्त करता चला आ रहा है । आवंटी के भूमि आवंटन के पश्चात सम्पूर्ण कोरम द्वारा मौके पर जाकर भोतिक रूप से कब्जा संभलाया था दखलनामा की प्रति जवाब के साथ संलग्न है। अप्रार्थी कम 1 का कब्जा मानते हुए तहसीलदार पीपल्दा के आदेशानुसार दिनांक 5.3.2013 को उक्त भूमि की किमत 950/रू.जमा करवाई गई थी,जिसका आदेश तहसीलदार पीपल्दा,जिला कोटा द्वारा दिया गया था।

उक्त आंवटित भूमि की सम्पूण्र रकम जमा करवाने के पश्चात तहसील कार्यालय में भूमि गैरखातेदारी में दर्ज करने बाबत प्रस्तुत आवेदन पर तहसीलदार द्वारा मौका एवं कब्जे की रिपोर्ट पटवारी से ली गई,जिसमें आंवटी बाबूलाल अप्रार्थी कम 1 का मौके पर कब्जा काश्त होना बताया है तथा उक्त भूमि का दखल होकर गैर खातेदारी दर्ज कने का कानूनी रूप से आदेश दिया था। अप्रार्थी कम 1 की आवंटित खसरा नम्बर 529 की 2.14 है.भूमि मे से पीछे से कुछ हिस्से यानि एक हैक्टर भूमि पर ब्रदीलाल द्वारा अवैध रूप से अतिक्रमण कर लिया तथा जिसके आधार पर प्रार्थी द्वारा यह माननीय न्यायालय के समंक्ष प्रार्थना पत्र आंवटन खारिज करने का प्रस्तुत किया है जो झूठे तथ्यों पर आधारित होने से काबिल खारिज योग्य है।

अतः जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र (14)4 को खारिज फरमाये जाने का आदेश प्रदान करें।

पत्रावली पर बहस सुनी गई। वकील प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अप्रार्थी को किये गये आवंटन को निरस्त किये जाने हेतु निवेदन किया। वकील अप्रार्थी दोराने बहस अनुपस्थित रहें।

वकील प्रार्थी की बहस सुनने के बाद पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। वकील प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 14(4) आंवटन नियम–1970 के अन्तर्गत आंवटन आदेश दिनांक 17.06.1992, के निरस्त किये जाने हेतु

अति॰ जिला कलक्टर
कोटा

पेश किया गया है। वकील प्रार्थी द्वारा आवंटन आदेश की जानकारी सर्वप्रथम नकल प्राप्त करने पर दिनांक 26.07.2021 को होना जाहिर करते हुए उक्त प्रार्थना पत्र दिनांक 27.01.2023 को धारा 05 लिमिटेशन एक्ट के प्रार्थना पत्र के साथ विलम्ब से प्रस्तुत किया गया है। प्रार्थना पत्र के विलम्ब के संबध वकील अप्रार्थी की कोई प्रतिक्रिया नही होने से न्यायहित प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किये जाने में हुए विलम्ब को कन्डोन करते हुए प्रार्थना पत्र अन्दर मियाद माना गया।

वकील प्रार्थी द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 14(4) आंवटन नियम–1970 के तहत पेश किया गया है पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड के अवलोकन से स्पष्ट है कि अप्रार्थी को उक्त भूमि का आवंटन राजस्थान उपनिवेशन (चम्बल परियोजना सरकारी भूमियों के आंवटन तथा विकय संबधी) नियम 1957 के अधीन प्रावधानो के तहत किया गया है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 14(4) आंवटन नियम–1970 में निहित प्रावधानों लागू नही होने से खारिज किया जाना न्यायोचित है।

अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 14(4) आंवटन नियम–1970 में निहित प्रावधानों लागू नही होने से खारिज किया जाता है।

निर्णय मेरे द्वारा लिखवाया जाकर आज दिनांक 27/5/26 को खुले न्यायालय सुनाया गया।

(वीरेन्द्र सिंह यादव)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
कोटा

मुद्रा

अति. जिला कलक्टर
कोटा